



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 (माघ 20, शक संवत् 1945)
विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

विधान सभा विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होने की अध्यक्षीय घोषणा के लिए आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाना.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री राम निवास रावत, सदस्य द्वारा विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होने की, विगत दिवस अध्यक्षीय घोषणा के परिप्रेक्ष्य में, आसंदी को सदन की ओर से धन्यवाद दिया गया.

(इसके फलस्वरूप पंचदश विधान सभा के माननीय सदस्यों के लगभग 850 प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर शासन द्वारा दिये जायेंगे.)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 100 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 108 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में डॉ. गौरीशंकर शेजवार, पूर्व मंत्री एवं विद्यालयीन छात्रगण की उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया गया.

4. विशेष उल्लेख

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शून्यकाल में नए विधायकों को अधिक अवसर देने की अध्यक्षीय घोषणा के प्रति सदन की ओर से धन्यवाद दिया गया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार :-

- (1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया में स्थित पर्यटक स्थल पूर्वाफाल की क्षतिग्रस्त रेलिंग को ठीक न कराया जाना,
- (2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की प्रदेश के अनेक शहरों में पालतू एवं आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि होना,
- (3) श्री महेश परमार, सदस्य की प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध न होना,
- (4) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर में रिंग रोड नहीं होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होना,
- (5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबद्ध कॉलेजों में अनु.जाति व अनु. जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिल पाना,
- (6) श्री विपीन जैन, सदस्य की मंदसौर में संचालित औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को रोका जाना,
- (7) श्री राम निवास रावत, सदस्य की प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में बैंकों का सहयोग न मिलना,
- (8) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की बड़वानी जिला चिकित्सालय में नेत्र की ओटी तैयार होने के बावजूद रोगियों के ऑपरेशन शुरू न हो पाना,
- (9) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की मध्यप्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाना,
- (10) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की जिला भिण्ड में दिनांक 26 जनवरी 2024 को आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध न कराया जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्य काल की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

- (1) सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा,
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा गया.
- (2) श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री द्वारा,
(क) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(ख) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(ङ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23, एवं
(च) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23 पटल पर रखे गये.
- (3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा,
(i) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23, तथा

(iii) एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखे गये.

(4) श्री राकेश शुक्ला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा -

कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा गया.

(5) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा,

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा गया.

(6) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति द्वारा,

कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा गया.

(7) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन द्वारा,

(i) म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2022-23,

(ii) डी.एम.आई.सी. पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, तथा

(iii) डी.एम.आई.सी. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखे गये.

7. ध्यानाकर्षण

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले में पाला एवं तुषार से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति एवं

(2) श्री महेश परमार, सदस्य की प्रदेश में स्थापित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रयोगशालाओं में अनियमितता होने

संबंधी ध्यानाकर्षण की कार्यसूची में अंकित सूचनाएँ सदस्यगण की अनुपस्थिति व श प्रस्तुत नहीं की गईं.

8. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित अनुसार :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम घिसलनी से उनाव रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम मागरोल में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सिजहरा से बम्हनगवां तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(4) श्री केशव देसाई, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम सिरसौदा में भिड़किरी से रूंड सरकार तक की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश के शासकीय सेवक खिलाड़ियों को टी.ए./डी.ए. का प्रदाय किये जाने,

(6) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सतपरा से सैपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(7) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम मडई एवं तिन्दुहरा के मध्य स्थित राजस्व भूमि पर 33/11000 के.व्ही. का विद्युत पावर हाउस स्थापित कराये जाने,

(8) श्री विपिन जैन, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा के मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा अंतर्गत वन स्टाप सेन्टर के भवन की स्वीकृति प्रदान करने,

(10) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम खूटाटोला जैहतरी में शंकर शाह-रघुनाथ शाह की मूर्ति की स्थापना कराये जाने,

(11) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले में बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने,

(12) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत नुन्हारी आदिवासी दफाई में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(13) डॉ. हिरालाल अलाभा, सदस्य, धार जिले के ग्राम पंचायत कल्लादा के ग्राम बेलाली से मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(14) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र.-60 के हुरावली में ए ब्लॉक से डी ब्लॉक तक नवीन सीवर लाईन डाले जाने,

(15) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम कठईडीह से कुण्डपानी तक एवं अन्य ग्रामों में ग्रेवल सड़क का निर्माण कराये जाने,

(16) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम सेमलेट से भादल तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(17) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम मिहावरा एवं दोनी के मध्य नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(18) श्री मोन्दू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम नक्टीरानी में गोई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(19) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम खामडका से केवड़ी विकासखण्ड के कठ्ठीवाडा मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(20) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के सेमरिया अंतर्गत स्नातकोत्तर विषयों का विस्तार कर नवीन संकाय का संचालन कराये जाने,

(21) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत भौरवाड़ा तालाब रोड से घुसगांव, पटेलपुरा, डाटापुरा ओझर रोड तक का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(22) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के विकासखण्ड सरदारपुर अंतर्गत विभिन्न शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने संबंधी आवेदन सदन में प्रस्तुत हुए माने गए.

9. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परंपरानुसार अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है अतः वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जायें. तदनुसार श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-

“दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 48, 50, 52, 54 तथा 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त

राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर अट्ठाईस हजार छः सौ पचपन करोड़, पंद्रह लाख, तेरह हजार, एक सौ बयालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।”

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

10 .अध्यक्षीय घोषणा भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि चूँकि आज सदन को निरंतरित रखेंगे इसलिए भोजनावकाश नहीं होगा. सदन की लॉबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें. प्रेस के लिए भी उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी.

11. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.(क्रमशः)

वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राम निवास रावत

सभापति महोदय (श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुए.

सभापति महोदय (श्री अजय विश्वादी) पीठासीन हुए.

- (2) श्री अभय कुमार मिश्रा
- (3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
- (4) डॉ.सीतासरन शर्मा
- (5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
- (6) श्रीमती झूमा डॉ.ध्यानसिंह सोलंकी
- (7) डॉ.रामकिशोर दोगने

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

- (8) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
- (9) डॉ.हिरालाल अलावा
- (10) श्री सुरेश राजे
- (11) श्री विजय रेवनाथ चौरे
- (12) श्री निलेश पुसारा उईके
- (13) एडवोकेट श्रीमती निर्मला सप्रे
- (14) श्री आरिफ मसूद
- (15) श्री पन्नलाल शाक्य
- (16) श्री भैरो सिंह “बापू”
- (17) श्री कैलाश कुशवाह
- (18) श्री सोहनलाल बाल्मीक
- (19) श्री दिलीप सिंह परिहार
- (20) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे

12. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय कार्य बाद में लिए जाने विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि, "मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत हैं", परन्तु आज की कार्यसूची में उल्लेखित राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर एक घंटा चर्चा होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जाएगा.

13. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.(क्रमशः)

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री(वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

15. अध्यक्षीय व्यवस्था.

विनियोग विधेयक की कॉपी माननीय सदस्यों को समय पर उपलब्ध करवाई जाना.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा विनियोग विधेयक की कॉपी उपलब्ध न करवाए जाने पर आपत्ति दर्ज की, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, "सूचना कार्यालय में विनियोग विधेयक की प्रति उपलब्ध है. संसदीय कार्य मंत्री जी, इस बात का आगे से विशेष ध्यान रखा जाए कि जो प्रपत्र पहले से सदस्यों को मिलना चाहिए, वह तत्समय मिले, यह सरकार सुनिश्चित करे." इस पर श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय को आश्चस्त किया गया कि आपके निर्देश का निश्चित रूप से पालन किया जाएगा.

